

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासन का अधिकार विभाग)

मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक ५०५३ / जी-८२९ / २००९ / १-सूअप्र

रायपुर, दिनांक १७ जुलाई, २००९

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

Sub:- Disclosure of 'file noting' under the Right to Information Act, 2005.

--००--

28 JUL 2009
Seq 516

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से Disclosure of 'file noting' under the Right to Information Act, 2005 के संबंध में प्राप्त कार्यालय ज्ञापन क्रमांक १/२०/२००९-आई.आर., दिनांक २३ जून २००९ की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(के.आर. मिश्रा)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक जुलाई, २००९

पृ० क्रमांक / जी-८२९ / २००९ / १-सूअप्र

प्रतिलिपि :-

- (1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक १/२०/२००९-आई.आर., दिनांक २३ जून २००९ के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

राज्य सूचना आयोग
क्रमांक ६०४२/.....
29 JUL 2009
संलग्न क्रमांक (१) (२)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग